आदेश

पत्रांकः–958/रेरा–93/2021–22 दिनांक 22, सितम्बर, 2023

भू–सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा–6 सहपठित उत्तराखण्ड भू–सम्पदा (विनियमन और विकास) (सामान्य) नियमावली, 2017 के नियम–6 के अनुसार परियोजना के पंजीकरण का विस्तार किये जाने हेतु आवेदन पंजीकरण की समाप्ति से पूर्व, तीन माह के भीतर प्रस्तुत किया जाना है। परन्तु परियोजना पंजीकरण हेतु प्राप्त आवेदनों के अवलोकन से प्राधिकरण के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि कतिपय मामलों में प्रमोटर्स द्वारा पंजीकरण के विस्तार हेतु आवेदन परियोजना पंजीकरण समाप्त होने के पश्चात् तथा विलम्ब से प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया है कि पंजीकृत परियोजना के पंजीकरण समाप्ति की तिथि के पश्चात् अवधि विस्तार हेतु विलम्ब से आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त निम्नानुसार अर्थदण्ड (Penalty) पृथक से जमा करना होगा :–

क0 सं0	समयावधि	अर्थदण्ड
01	पंजीकरण समाप्ति तिथि तक आवेदन प्रस्तुत करने पर	कोई अर्थदण्ड नहीं
02	पंजीकरण समाप्ति तिथि के उपरान्त 01 माह के भीतर आवेदन प्रस्तुत करने पर	पंजीकरण शुल्क का 10 प्रतिशत
03	पंजीकरण समाप्ति तिथि के 01 माह उपरान्त परन्तु 03 माह के भीतर आवेदन प्रस्तुत करने पर	पंजीकरण शुल्क का 25 प्रतिशत
04	पंजीकरण समाप्ति तिथि के 03 माह उपरान्त परन्तु 06 माह के भीतर आवेदन प्रस्तुत करने पर	पंजीकरण शुल्क का 50 प्रतिशत
05	पंजीकरण समाप्ति तिथि के 06 माह उपरान्त परन्तु 09 माह के भीतर आवेदन प्रस्तुत करने पर	पंजीकरण शुल्क का 75 प्रतिशत
06	पंजीकरण समाप्ति तिथि के 09 माह के उपरान्त परन्तु 12 माह के भीतर आवेदन प्रस्तुत करने पर	पंजीकरण शुल्क के बराबर
07	पंजीकरण समापित तिथि के 01 वर्ष उपरान्त आवेदन प्रस्तुत करने पर	प्राधिकरण के निर्णय के अनुसार

2. यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होगा।

(एस0 एल0 सेमवाल)
सचिव। 22/9/2023